

Jharkhand News : ब्रांडेड कंपनी के नकली उत्पाद बेचने वाले 4 दुकानदारों को जेल, दो लाख के सामान जब्त

पकड़े गए दुकानदारों में सोनी एलेक्ट्रॉनिक के मालिक पप्पू भगत, देव इलेक्ट्रिक के मालिक उमाशंकर कुमार, आकाश इलेक्ट्रिक के मालिक आकाश एवं अली इलेक्ट्रॉनिक के मालिक मुराद अली के नाम शामिल हैं।

By Prabhat khabar Digital

Updated Date Thu, Nov 18, 2021, 6:32 PM IST



Jharkhand News : जब्त नकली सामान | प्रभात खबर

Jharkhand News, पलामू न्यूज (जफर हुसैन) : झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद में ब्रांडेड कंपनी का नकली उत्पाद बेचने के आरोप में चार इलेक्ट्रिक दुकानदारों को जेल भेज दिया गया। इनके पास से दो लाख के सामान भी जब्त किये गये हैं। स्पीड सर्च सिक्सोरिटी प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर ने शिकायत के बाद जांच की। इसमें इस मामले की पुष्टि हुई। इसके बाद हुसैनाबाद पुलिस के सहयोग से इन्हें गिरफ्तार किया गया। स्पीड सर्च सिक्सोरिटी प्राइवेट लिमिटेड के फील्ड ऑफिसर विशाल मंडल ने जानकारी दी कि पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के कई दुकानदारों द्वारा एंकर कंपनी की डुप्लीकेट इलेक्ट्रिक उत्पाद बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। इसके सत्यापन के लिए हुसैनाबाद पुलिस के सहयोग से शहर की कई दुकानों में जांच की गई। जांच के दौरान चार दुकानों से एंकर की डुप्लीकेट वायर, बजाज फैन, हैवेल्स की वायर समेत कई नकली सामान बरामद किये गये हैं।

जांच के क्रम में पकड़े गए दुकानदारों में सोनी एलेक्ट्रॉनिक के मालिक पप्पू भगत, देव इलेक्ट्रिक के मालिक उमाशंकर कुमार, आकाश इलेक्ट्रिक के मालिक आकाश एवं अली इलेक्ट्रॉनिक के मालिक मुराद अली के नाम शामिल हैं। इस संबंध में हुसैनाबाद पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि फील्ड ऑफिसर की लिखित शिकायत पर चारों दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए इन्हें मेदिनीनगर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Source:

<https://www.prabhatkhabar.com/state/jharkhand/palamu/jharkhand-news-4-shopkeepers-selling-fake-products-of-branded-company-jailed-in-palamu-goods-worth-two-lakhs-seized-grj>